भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 411वीं आरजीपी (पूर्व में एनओसी) बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए
दिनांक एवं समय- 26 अक्तूबर, 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया;

1. प्रोफेसर किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण एवं महानिदेशक एएसआई *अध्यक्ष*
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री हेमराज आर. कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (वस्तुतः (वर्चुअली) उपस्थित)
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01

410वीं आरजीपी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 02

ऑनलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(मां तारा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, 83 बेंटिक स्ट्रीट, कोलकाता-700001)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया:

- फॉर्म-I/फॉर्म-II (26.875 मीटर) और बिल्डिंग प्लान में ऊंचाई का मेल नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग प्लान में प्रस्तावित निर्माण की ऊंचाई 25.975 मीटर दिखाई गई है, जिसमें छत की संरचना की ऊंचाई शामिल नहीं है।

- फॉर्म-I/फॉर्म-II में बेसमेंट का क्षेत्रफल नहीं बताया गया है, जबकि बिल्डिंग प्लान में बेसमेंट एरिया 417.605 वर्गमीटर दर्शाया गया है ।

आवेदक/सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद संशोधित भवन योजना के साथ प्रस्ताव फिर से जमा करें।

मामला संख्या 02

(परियोजना निदेशक, पीआईयू बरेली, एनएचएआई, 282, 01, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बिशप कॉनरोड स्कूल के पास, बरेली-243006)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया:

- परियोजना निदेशक, एनएचएआई को पुल के प्रस्तावित निर्माण के लिए प्राधिकरण के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जा सकता है।
- एनएचएआई द्वारा प्रेजेंटेशन के समय एसए, एएसआई, लखनऊ सर्कल को भी उपस्थित रहने के लिए कहा जा सकता है।

मामला संख्या 03

(श्री राजकुमार कोविल स्वामी, नं. 50, सुभम नगर पार्ट-1, पल्लावरम, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 61, एस. नं.12/1, ज़मीन पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 16.88 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ स्टिल्ट/जीएफ+3 मंजिलों के साथ जीएफ क्षेत्र (वाणिज्यिक)=74.80 वर्गमीटर, 1एफ क्षेत्र (आवासीय)=211.68 वर्गमीटर, 2एफ क्षेत्र (आवासीय)=211.68 वर्गमीटर, 3एफ क्षेत्र (आवासीय)=118.92 वर्गमीटर, स्टिल्ट क्षेत्र=136.88 वर्गमीटर, हैडरूम और लिफ्ट मशीन रूम क्षेत्र=19.96 वर्गमीटर, चारदीवारी=1.52 मीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक एवं आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री के. सेल्वम, नं. 58, अंजनेयार कोविल स्ट्रीट, ईएसएसए पल्लावरम, चेन्नई-600043)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण प्लॉट नंबर 11, एस. नं. 159/1पी, ज़मीन पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल 12.50 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=43.40 वर्गमीटर, 1एफ=2एफ=56.40 वर्गमीटर, पोर्टिको क्षेत्र=13.00 वर्गमीटर, हैडरूम रूम क्षेत्र=7.85 वर्गमीटर, चारदीवारी=1.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्रीमती आर. इंदुमथी, नं. 58, अंजनेयार कोविल स्ट्रीट, ईएसएसए पल्लावरम, चेन्नई-600043)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पी.नं.13, एस.नं. 159/1पी, ज़मीन पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 12.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=44.12 वर्गमीटर, 1एफ=2एफ=57.97 वर्गमीटर, पोर्टिको क्षेत्र=13.85 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र=7.85 वर्गमीटर, चारदीवारी=1.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्रीमती के. पेरियानायागी और श्री के. अमलाधिथ्यान, फ्लैट नंबर 14, दरवाजा नंबर 2, गोल्डन जुबली फ्लैट्स, 15वीं क्रॉस स्ट्रीट, न्यू कॉलोनी, क्रोमपेट, चेन्नई-600044)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पी.नं. 9, एस.नं. 322/1ए1ए/1बी, जमीन पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 16.87 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण

टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ स्टिल्ट+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=1□=2□=3□=140.76 वर्गमीटर, हेडरूम और लिफ्ट मशीन रूम क्षेत्र=15.01 वर्गमीटर, चारदीवारी=1.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(श्रीमती उषा सदागोपन, 23/2, थुक्करम बजानई कोविल स्ट्रीट, फिल्टर बेड रोड, वेल्लोर नगर निगम)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 9.45 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया।

मामला संख्या 08

(श्री रोहित चौहान (जीपीए) आदित्य रेजीडेंसी एलएलपी, निवासी बड़ी चौपाल के पास, गांव छज्जू नगर पलवल तहसील एवं जिला पलवल, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया:

- प्रस्तावित निर्माण स्थल का स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए आवेदक के नाम का संपत्ति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- बिल्डिंग प्लान में तलक्षेत्र नहीं पाया गया है।

आवेदक/सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करें।

मामला संख्या 09

(मैसर्स सुपर स्क्रूज़ प्राइवेट लिमिटेड, 72, माइलस्टोन, गांव-औरंगाबाद, पलवल, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया:

- प्रस्तावित निर्माण स्थल का स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए आवेदक के नाम का संपत्ति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- संपत्ति एक कंपनी के स्वामित्व वाली है जबकि फॉर्म-I और फॉर्म-II में इसका उल्लेख संयुक्त स्वामित्व के रूप में किया गया है।
- भवन योजना में प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र वर्गफुट में दर्शाया गया है, इसका उल्लेख वर्ग मीटर में किया जाना आवश्यक है जैसा कि फॉर्म-I/फॉर्म-II में दिखाया गया है।
- भवन योजना एक मेज़ानाइन तल के निर्माण को इंगित करती है, जिसका उल्लेख फॉर्म- I/फॉर्म-II में नहीं है।
- फॉर्म-I/फॉर्म-II और बिल्डिंग प्लान में प्रस्तावित भवन की ऊंचाई में मेल नहीं है।
- एनएमए के निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्व-घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई है।
- आवेदन/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए श्री सुषम कुमार कपूर को अधिकृत करने के लिए मैसर्स सुपर स्क्रूज़ प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- एसए, एएसआई, चंडीगढ़ सर्कल द्वारा उल्लिखित प्रस्तावित निर्माण स्थल पर अनधिकृत निर्माण को हटाने/ध्वस्त करने की आवश्यकता है।

आवेदक/सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करें।

<u>मामला संख्या 10</u>

(श्री किशोर दयालदास तेजवानी और अन्य, 1002, कृष्णा टॉवर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, आरवी देसाई रोड, वडोदरा, गुजरात-390001)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने विभाग बी, टीका नं. 11/1, सी.एस. नं. 95, वार्ड नंबर 2 (वडोदरा शहर), वडोदरा, गुजरात में 11.70 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+2+छत तल के साथ जीएफ=1एफ=2 एफ=28.68 वर्ग मीटर और छत तल=09.43 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 11

(श्री मुकेश मोहनदास सुखवानी एमएच डेवलपर के मालिक/साझेदार के रूप में, सब प्लॉट नंबर 20/बी, सिद्धिविनायक अस्पताल के पीछे, पुनित आश्रम रोड, मणिनगर, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया:

- आवेदन/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए श्री मुकेश मोहनदास सुखवानी को अधिकृत करने के लिए मैसर्स एमएच डेवलपर का बोर्ड संकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- संपत्ति एक कंपनी के स्वामित्व वाली है जबकि फॉर्म-I और फॉर्म-II में इसका उल्लेख संयुक्त स्वामित्व के रूप में किया गया है।

आवेदक/सक्षम प्राधिकारी, गुजरात उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद प्रस्ताव फिर से जमा करें।

ऑफ़लाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(श्री काशीनाथ निंगोंडप्पा ओलेकर, सी/ओ एसबी मदाभवी, मकान नंबर 25, महात्मा गांधी नगर, घेवरचंद कॉलोनी, अथानी रोड, जिला-विजयपुर, कर्नाटक-586103)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया।

मामला संख्या 02

(श्री कोत्रेश वी गुंजत्ती, कंदक रोड, जिला- हावेरी, कर्नाटक-581110)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीटीएस नंबर 2988एफ और 2993, ई स्वत्तु नंबर 17-1-508-164ए और 17-1-508-162, पुराद ओनी, बसवन्ना मंदिर के पास, हावेरी-581110 में 6.6 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=84.765 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अनुमति देने की

सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्रीमती प्रकाशिनी, श्री धरणेन्द्र कुमार एवं श्रीमती विद्या कुमारी, 102, बेतकेरी हाउस, जैन पीट, प्रांत्या, मूडबिद्री, मंगलुरु, जिला- दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक-574227)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 12.02 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया।

मामला संख्या 04

(श्री शैलेंद्र उरकुडे पुत्र श्री यादवराव उरकुडे, वार्ड नं. 08, तहसील-लांजी जिला-बालाघाट, तहसील-लांजी, मध्य प्रदेश-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने हल्का नंबर 19/60, 187/272, ग्राम-लांजी तहसील- लांजी, जिला बालाघाट में 7.20 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=87.67 वर्गमीटर वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए। आवासीय भवन के निर्माण के अनुमति प्रदान करना इस शर्त के अध्यधीन है कि भूमि के स्वामित्व के बारे में किसी विवाद के मामले में अनुमति रद्द कर दी जाएगी।

मामला संख्या 05

(श्री नवीन कुमार भुच्च पुत्र श्री टीकमचंद भूच, वार्ड नं. 16, जैन कॉलोनी सनावद, जिला-खरगोन, मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित करने और तदनुसार संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया।

मामला संख्या : 06

(श्री प्रमोद कछवाहे पुत्र श्री कौडू कछवाहे, वार्ड क्रमांक 09, लोधी मोहल्ला लांजी, जिला-बालाघाट, तहसील-लांजी, मध्य प्रदेश-481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने खसरा नंबर 503/3, गांव - लांजी, हल्का और तहसील- लांजी, जिला - बालाघाट में 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 90.50 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 07

(श्री सुनील बडमे पुत्र श्री दयाराम बडमे , वार्ड क्रमांक- 04, तहसील- लांजी, जिला- बालाघाट, तहसील- लांजी, मध्य प्रदेश- 481222)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्राधिकरण ने पटवारी हल्का नंबर 19/60, 187/308 के, गांव-लांजी तहसील-लांजी, जिला-बालाघाट में 4.85 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 32.50 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अधीन की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या : 08

(लाइका होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, 25, मॉडल कॉलोनी, कॉलेज रोड, जिला - नासिक, महाराष्ट्र - 422005 के लिए श्री किशोर गणेश सोनावणे)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया:

क) आवेदक को धरोहर प्रभाव मूल्यांकन (एचआईए) रिपोर्ट जमा करनी होगी क्योंकि प्रस्तावित निर्माण का निर्मित क्षेत्र 5000 वर्गमीटर से अधिक है ।

ख) रजिस्ट्रार कार्यालय में विधिवत पंजीकृत विशेष पावर अटॉर्नी जमा करना आवश्यक है।

आवेदक/सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र उपरोक्त अवलोकनों का अनुपालन करने के बाद प्रस्ताव फिर से जमा कर सकते हैं।

मामला संख्या : 09

(श्री कृष्ण कुमार रघुनाथ तेली, 259, बुधवार पेठ, गजानन चौक फलटण, जिला- सतारा, महाराष्ट्र-415523)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित रखी जाएगी।

ख) संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार, संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व में है, जबकि फॉर्म- I और फॉर्म- II में दर्शाया गया है, कि यह व्यक्तिगत स्वामित्व में है।

आवेदक/सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद प्रस्ताव फिर से जमा कर सकते हैं।

मामला संख्या : 10

(श्री के गुरुराज आचार्य, सी/ओ राघवेंद्र स्वामी मठ, नागारा, होसानगर तालुक, जिला-शिमोगा, कर्नाटक - 577425)

आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित कार्य को सामुदायिक भवन का नवीकरण दिखाया गया है जबकि अन्य आंतरिक निर्माण कार्य के साथ वर्तमान एसीसी शीट की छत को पक्की आरसीसी छत संरचना के साथ बदला जा रहा है, इसलिए इसे प्रस्तावित नवीनीकरण कार्य के बजाय निर्माण कार्य माना जाएगा।

ख) आवेदन में किए जाने वाले आंतरिक कार्यों का विवरण उल्लिखित करना आवश्यक है।

ग) संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार, संपत्ति संयुक्त रूप से राघवेंद्र स्वामी मठ के स्वामित्व में है, जबकि फॉर्म- I / फॉर्म- II इंगित करता है, कि यह व्यक्तिगत स्वामित्व में है।

आवेदक/सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक उपरोक्त अवलोकनों का अनुपालन करने के बाद प्रस्ताव फिर से जमा कर सकते हैं।

अनुपालन ऑनलाइन मामले

मामला संख्या :01

(श्री एस गणेशन, नं.: 17/10, पटेल स्ट्रीट, पश्चिम माम्बलम, चेन्नई - 33)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने 158/3, पेरुंगलाथुर, तांबरम, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में 13.14 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = 1एफ = 2एफ = 121.33 वर्गमीटर, हेड रूम और लिफ्ट क्षेत्र = 23.41 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 02

(श्री एम गोपीनाथ (जीपीए) और श्रीमती आर शांति (मालिक), नंबर: 27 कंबार स्ट्रीट पल्लावरम चेन्नई-600017)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर: 11, एस.नंबर: 21/13 सी, जमीन पल्लावरम, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 15.74 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = 1 एफ = 2 एफ = 3एफ = 119.70 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या :03

(श्री राजन बाबू एस, वार्ड नंबर: 4, ब्लॉक नंबर 9, डी.नंबर 11, टीएस नंबर: 709/3, ईस्ट राजा स्ट्रीट, कांचीपुरम टाउन और जिला, तमिलनाडु - 631501)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने क्रमांक: 709/3, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ (वाणिज्यिक) = 32.83 वर्गमीटर, 1एफ(आवासीय) = 32.83 वर्गमीटर, खुला क्षेत्र = 44.17 वर्गमीटर, चारदीवारी = 35.40 आरएम के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक सह आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या :04

(श्री आनंदकुमार जैन जी और श्रीमती ए. ममता मुथा, घेवर, चंद जैन जे, नंबर: 15, एन्नाइकारा स्ट्रीट, जैन कोविल स्ट्रीट कांचीपुरम, तमिलनाडु - 631501)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने 1867/1, 1867/2, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 9.12 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = 1एफ = 2एफ = 331.198 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

अतिरिक्त कार्यसूची

ऑनलाइन नये मामले (दिल्ली)

मामला संख्या 01

(श्री आशीष जैन और श्री अमित जैन, वाई-62, हौज़ खास एन्क्लेव, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने वाई-62, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली में 17.99 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 125.39 वर्गमीटर, तलघर का क्षेत्रफल = 125.38 वर्गमीटर और गहराई = 3.08 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(मैसर्स गैलेक्सी इंफ्राटेक अपने पार्टनर श्री मनीष गोयल, श्री राजन कालरा, श्री अभिषेक कालरा, श्री राजेश वासन, श्री विश्व बंधु सचदेवा, श्री मोहम्मद नसीम और श्री हसीन, ई-37, हौज़ खास मार्केट, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने अपने लेटर पैड पर फर्म के उस बोर्ड संकल्प के अभाव में मामले को खारिज करने का फैसला किया जिसमे साझेदारी फर्म यानी मैसर्स गैलेक्सी इंफ्राटेक की ओर से भागीदार के रूप में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर/जमा करने के लिए मेसर्स गैलेक्सी इंफ्राटेक ने मनीष गोयल को अधिकृत किया है। आवेदक/सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली अवलोकन का अनुपालन करने के बाद नया प्रस्ताव फिर से जमा कर सकते हैं।

मामला संख्या 03

(श्री कुलदीप राय चावला, मकान नंबर-सी-17, निज़ामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में प्राधिकरण ने आवेदक को वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को

खारिज करने का फैसला किया। आवेदक/सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली अवलोकन का अनुपालन करने के बाद नया प्रस्ताव फिर से जमा कर सकते हैं।